<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सुरेश कुमार बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 137 / 2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र मुकनाराम, पता ग्राम खेड़ा सरेचा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.04.2022 में (1) प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2022 बाबत् पत्र कमांक 10 / 2645 दिनांक 10.12.10 एवं पत्र कमांक 331 दिनाक 10.12.2010 पर नियमानुसार कार्यवाही करने का श्रीमान की ओर से की गई कार्यवाही / संज्ञान / पेशी / पत्रावली की जानकारी सत्यापित प्रति,, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्क्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुइ।, अपील के संलग्न दस्तावेज की प्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 04.03.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पत्र कमांक 10 / 2645 दिनांक 10.12.2010 कार्यालय पंचायत समिति लूणी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी के पत्रांक 331 दिनांक 10.12.2010 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकार दर्ज करने पर कार्यवाही करने का प्रस्तुत हुआ। प्रथमत् लोक सूचना अधिकारी को न्यायालय शाखा से जबाब दिया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस शाखा से संबंधित नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्पष्ट होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>